

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा अगस्त २०१८ माह में किये गए महत्वपूर्ण / उल्लेखनीय कार्य

- i. भारत संघ के तहत सभी सिविल पदों के वर्गीकरण को दिनांक 09.08.2018 के आदेश सं. 11012/10/2016-स्था.ए-111 द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया गया।
- ii. विभिन्न सेवाओं के चिकित्सकों के संबंध में अधिवर्षिता की आयु से संबंधित मूल (द्वितीय संशोधन) नियम, 2018 को दिनांक 11.08.2018 के राजपत्र अधिसूचना सं. 25012/4/2016-स्था.(ए-IV) द्वारा जारी किया गया।
- iii. सिविल सेवा परीक्षा, 2017 के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा संस्तुत अभ्यर्थियों को सेवाओं के आबंटन अर्थात् आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, केंद्रीय सिविल सेवाओं, समूह 'क' और समूह 'ख' की द्वितीय यात्रा-कार्यक्रम और तृतीय यात्रा-कार्यक्रम को क्रमशः 14.08.2018 और 24.08.2018 को अनुमोदित किया गया।
- iv. एजीएमयूटी संबंधी आईएएस संवर्ग समीक्षा को दिनांक 28.08.2018 से राजपत्र अधिसूचना सं. 11031/02/2016-अ.भा.से.-11(ए) द्वारा जारी किया गया।
- v. निचले पद में अगली वेतनवृद्धि की तारीख (डीएनआई) से पदोन्नति पर वेतन निर्धारण करने के लिए विकल्प का लाभ लेने के संबंध में और सीसीएस (आरपी) नियमावली, 2016 के संदर्भ में यदि विकल्प चुना जाता है तो डीएनआई से वेतन निर्धारण की पद्धति को दिनांक 28.08.2018 के का.जा.सं. 13/02/2017-स्था.(वेतन-1) द्वारा जारी किया गया।
- vi. आईएएस अधिकारियों से संबंधित संशोधित वेतन नियम को दिनांक 30.08.2018 की राजपत्र अधिसूचना सं. 11030/3/2017-अ.भा.से.-11 द्वारा जारी किया गया।
- vii. मंत्रिमण्डलीय नियुक्ति समिति (एसीसी) ने विभिन्न अनुसूची 'क' एवं 'ख' केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में 22 मामलों (05 सीएमडी/एमडी और 17 कार्यात्मक निदेशक) में नियुक्तियों का अनुमोदन किया। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमण्डल सचिव/एसीसी द्वारा विभिन्न अधिकरणों/सांविधिक निकायों/ प्राधिकरणों/आयोग में अध्यक्षों/सदस्यों की दो (02) नियुक्तियों, स्वायत्तशासी निकायों/संस्थानों में मुख्य कार्यपालकों की छह (06) नियुक्तियों, मंत्रियों के निजी सचिव की नियुक्ति संबंधी दो (02) प्रस्तावों और कार्यकाल-विस्तार संबंधी दस (10) प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के तहत 12 अधिकारियों को प्रस्ताव पर बनाए रखा गया है।
- viii. गैर-स्टाफ विभागीय कैंटीन के कैंटीन कर्मचारियों के बच्चों को 3000/- रुपए की कुल राशि की चार छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं।

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, विभिन्न विषयों पर इस विभाग द्वारा निम्नलिखित अनुदेश/दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

क) 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों के आधार पर मौजूदा कार्यकारी भत्ता (जो रक्षा बलों में प्रदान किया जा रहा है) और दोहरा प्रभार भत्ता (जो रेल मंत्रालय में प्रदान किया जा रहा है) को समाप्त करना-अतिरिक्त पद भत्ता प्रदान करने के संबंध में अनुदेश इस विभाग के दिनांक 08.08.2018 के का.जा. सं. 2/13/2017-स्था.(वेतन-11) द्वारा जारी किए गए।

ख) देश भर में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम में 17 अगस्त, 2018 के माध्याह्न में अर्ध-दिवस छुट्टी संबंधी अनुदेश दिनांक 16.08.2018 के का.जा.सं. 12/2/2007-जेसीए-2 द्वारा जारी किए गए ताकि लोग पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के "समृति स्थल", नई दिल्ली में सरकारी स्तर पर किए जाने वाले दाह-संस्कार में शामिल हो सकें/श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें।

ग) सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के पश्चात जेसीएम के सदस्यों को यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता की हकदारी संबंधी संशोधन करने से संबंधित अनुदेशों दिनांक 20.08.2018 के का.जा.सं. 8/10/2008-जेसीए द्वारा जारी किए गए।